अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन

-: प्रशासनिक एवं सम्पर्क कार्यालय :-
४बी, डकबैक हाउस, ४१, शेक्सपीयर सरणी, कोलकाता-७०००१७
दूरभाष : ४००४ ४०८९

-: पंजीकृत कार्यालय :-
१५२-बी (द्वितीय तल), महात्मा गांधी रोड, कोलकाता-७००००७

संविधान एवं नियमावली

(दिसम्बर २०१३ में गुवाहाटी में आयोजित २३वें राष्ट्रीय अधिवेशन,
अप्रैल २०१६ में कोलकाता में आयोजित २४वें राष्ट्रीय अधिवेशन
तथा मार्च २०१९ में हैदराबाद में आयोजित सम्मेलन की सर्वोच्च नीतिनिर्धारक
अखिल भारतीय समिति में संशोधित एवं पारित)

प. बंगाल सोसाइटीज एक्ट १९६१ के अन्तर्गत पंजीकृत
(एस/४९३९९/१९८५-८६)

सम्मेलन भवन
२५ए, अमहर्स्ट स्ट्रीट
कोलकाता-७०० ००९

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के विगत अधिवेशन और पदाधिकारी

सत्र	अधिवेशन	अध्यक्ष	महामंत्री
१९३५-३८	कोलकाता	रायबहादुर रामदेव चोखानी	भूरामल अग्रवाल
१९३८-४०	कोलकाता	पद्मपत सिंघानिया	ईश्वरदास जालान
१९४०-४१	कानपुर	सर बद्रीनाथ गोयनका	रामेश्वरलाल नोपानी
१९४१-४३	भागलपुर	रामदेव पोद्दार	रामेश्वर लाल नोपानी
१९४७-५४	मुम्बई	बृजलाल बियाणी	रामेश्वरलाल केजड़ीवाल
			नन्द किशोर जालान
१९५४-६२	कोलकाता	सेठ गोविन्ददास मालपानी	नन्द किशोर जालान
१९६२-६६	कोलकाता	गजाधर सोमानी	रघुनाथ प्रसाद खेतान
१९६६-७४	पूना	रामेश्वरलाल टांटिया	रामकृष्ण सरावगी
			दीपचंद नाहटा
१९७४-७६	राँची	भंवरमल सिंघी	नन्द किशोर जालान
१९७६-७९	हैदराबाद	भंवरमल सिंघी	नन्द किशोर जालान
१९७९-८२	मुम्बई	मेजर रामप्रसाद पोद्दार	बजरंगलाल जाजू
१९८२-८६	जमशेदपुर	नन्द किशोर जालान	बजरंगलाल जाजू
			रतन शाह
१९८६-८९	कानपुर	हरिशंकर सिंहानिया	रतन शाह
१९८९-९०	राँची	रामकृष्ण सरावगी	दुलीचंद अग्रवाल
१९८९-९३		हनुमान प्रसाद सरावगी (कार्यवाहक)	
१९९३-१९९७	दिल्ली	नन्द किशोर जालान	दीपचंद नाहटा
१९९७-२००१	हैदराबाद	नन्द किशोर जालान	सीताराम शर्मा
२००१-२००३	कानपुर	मोहनलाल तुलस्यान	सीताराम शर्मा
२००४-२००६	मुम्बई	मोहनलाल तुलस्यान	भानीराम सुरेका
२००६-२००८	भुवनेश्वर	सीताराम शर्मा	रामअवतार पोद्दार
२००८-२०१०	दिल्ली	नन्दलाल रुँगटा	रामअवतार पोद्दार
२०१०-२०१३	पटना	डॉ. हरिप्रसाद कानोड़िया	संतोष सराफ
२०१३-२०१६	गुवाहाटी	रामअवतार पोद्दार	शिवकुमार लोहिया
२०१६-२०१८	कोलकाता	प्रह्लाद राय अगरवाला	शिवकुमार लोहिया
२०१८	वाराणसी	संतोष सराफ	श्रीगोपाल झुनझुनवाला

West Bengal Form No. 264

सत्यमेव जयते

Certificate of Registration of Societies
WEST BENGAL ACT XXVI of 1961

No. S/49399 of 1985-1986

I hereby certify that **Akhil Bharatvarshiya Marwari Sammelan** has this day been registered under the West Bengal Registration Act. 1961.

Given under my hand at Calcutta this Twenty Eighth day of August One Thousand Nine Hundred and Eighty Five.

Sd/- B.K. GHOSH
Registrar of Firms, Societies &
Non-Tradind Corporation
West Bengal

Seal

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन

ज्ञापन

१. **नाम :** इस संस्था का नाम अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन होगा। अंग्रेजी में इसे ALL INDIA MARWARI FEDERATION कहा जाएगा।

२. **पता :** सम्मेलन का पंजीकृत कार्यालय १५२-बी, महात्मा गांधी रोड, कोलकाता-७०० ००७ (पश्चिम बंगाल) में होगा।

३. **उद्देश्य :** सम्मेलन के उद्देश्य होंगे :-

(१) समाज का सर्वांगीण विकास करना।

(२) समाज के विकास हेतु समाज का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन करना।

(३) बिना धार्मिक या जातिगत भेदभाव के अभावग्रस्त एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास हेतु प्रयत्न करना।

(४) राजस्थानी भाषा, साहित्य व संस्कृति के विकास, प्रचार-प्रसार एवं प्रकाशन हेतु प्रयत्न करना।

(५) ऐसे कार्य करना जो जनता या सर्वसाधारण के हित या लाभ के लिए हो।

(६) सामाजिक रूढ़ियों एवं कुरीतियों के उन्मूलन हेतु प्रयत्न करना।

(७) आपसी विवादों को तय करने के लिए पंचायतें बनाना।

(८) अन्य ऐसे कार्य करना जो समाज व देश की उन्नति तथा प्रगति में सहायक हो।

४. **सम्पति, आय का लाभ :**

यह सम्मेलन किसी लाभ हेतु बनाई गई संस्था नहीं है। सम्मेलन की आय, लाभ और सभी निधियों और सम्पतियों का उपयोग केवल उसके उद्देश्यों के संवर्द्धन के लिए किया जाएगा और उनके किसी भी अंश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर बोनस, लाभांश या किसी दूसरे तरीके से फायदे के रूप में किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या अन्य व्यक्ति को प्रदत्त या अंतरित नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि इस कंडिका में बताई गई कोई भी बात, सम्मेलन के प्रति की गई किन्हीं वास्तविक सेवाओं के बदले, अथवा सम्मेलन के किसी अधिकारी या सेवक या अन्य किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक देने, अथवा सम्मेलन के उद्देश्यों की परिपूर्ति या अग्रेषित करने के हेतु उसके सदस्यों या सेवकों में से किसी को या किसी अन्य व्यक्ति को सद्भावपूर्ण इनाम, पुरस्कार या अन्य भांति कोई अदायगी करने से नहीं रोकेगी।

५. **सम्मेलन के वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित होंगे :-**

क्रम सं.	नाम और पता	पदनाम
१.	**श्री नन्द किशोर जालान** २६, अमहर्स्ट स्ट्रीट, कोलकाता-७०० ००१	**सभापति**
२.	**श्री सीताराम रुँगटा** रुँगटा हाउस, पो.-चाईबासा, बिहार	**उप सभापति**

३.	**श्री रामनिवास शर्मा** मारवाड़ी हिन्दी विद्यालय बेगम बाजार, हैदराबाद	**उप सभापति**
४.	**श्री लक्ष्मीमल सिंघवी** बी/८, साउथ एक्सटेंशन डिवीजन-२, नई दिल्ली-११००४१	**उप सभापति**
५.	**श्री भगवती प्रसाद गोयनका** २२७, कालवा देवी रोड, बम्बई-२	**उप सभापति**
६.	**श्री बजरंगलाल जाजू** १-ए, देवेन्द्रलाल खान रोड कोलकाता-७०० ०२७	**संयुक्त महामंत्री**
७.	**श्री रतन शाह** १४, चांदनी चौक कोलकाता-७०० ०१३	**संयुक्त महामंत्री**
८.	**श्री इन्द्रचंद संचेती** १२, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट कोलकाता-७०० ००१	**उप महामंत्री**
९.	**श्री लोकनाथ डोकानिया** २५, बड़तल्ला स्ट्रीट कोलकाता-७०० ००७	**उप महामंत्री**
१०.	**श्री देवकीनंदन पोद्दार** ११६, महात्मा गांधी रोड, (माधव भवन) कोलकाता-700 007	**कोषाध्यक्ष**

६. १९६१ के वेस्ट बंगाल सोसाईटीज एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत ज्ञापन के अनुसरण में हम कुछ व्यक्ति जिनके नाम और पते यहां पर दिये जाते हैं, अपने को एक सभा के रूप में सम्मिलित करने के इच्छुक हैं :-

क्रम सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर	पेशा
१.	**श्री नन्द किशोर जालान** २६, अमहर्स्ट स्ट्रीट कोलकाता-७०० ००१	स्वयं	व्यापारी
२.	**श्री राधाकृष्ण नेवटिया** ५२, जाकरिया स्ट्रीट कोलकाता-७०० ००१	स्वयं	व्यापारी

३.	**श्री भंवरमल सिंघी** १६२/सी/५३३, लेक गार्डेंस कोलकाता-७०० ०४५	स्वयं	सामाजिक कार्यकर्ता
४.	**श्री बजरंगलाल जाजू** १-ए, देवेन्द्रलाल खान रोड कोलकाता-७०० ०२७	स्वयं	व्यापारी
५.	**श्री रतन शाह** १४, चांदनी चौक कोलकाता-७०० ०१३	स्वयं	व्यापारी
६.	**श्री इन्द्रचंद संचेती** १२, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट कोलकाता-७०० ००१	स्वयं	अधिवक्ता
७.	**श्री लोकनाथ डोकानिया** २५, बड़तल्ला स्ट्रीट कोलकाता-७०० ००७	स्वयं	अधिवक्ता
८.	**श्रीमती सुशीला सिंघी** १६२/सी/५३३, लेक गार्डेंस कोलकाता-७०० ०४५	स्वयं	सामाजिक कार्यकर्ता

उक्त हस्ताक्षरों के साक्षी : बैजनाथ राय
हस्ताक्षर
पता : डी.बी.-४, नीहारिका, रेलपुकुर रोड
बागुईहाटी, कोलकाता-५९
पेशा : सेवा
दिनांक : ३० जुलाई १९८५

संशोधित

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन का संविधान एवं नियमावली

१. परिभाषा :

इस संविधान में नीचे लिखे हुए शब्द उनके सामने दिए गये अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं।

(१) सम्मेलन : अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन।

(२) मारवाड़ी : राजस्थान, हरियाणा, मालवा एवं उनके निकटवर्ती भू-भागों के रहन-सहन, भाषा एवं संस्कृति वाले सभी व्यक्ति, जो स्वयं अथवा उनके पूर्वज देश या विदेश के किसी भू-भाग में बसे हों।

(३) प्रदेश, प्रांत, प्रादेशिक या प्रांतीय से प्रसंगानुसार क्षेत्र या क्षेत्रीय समझा जायेगा।

(४) देशीय : प्रसंगानुसार विभिन्न राष्ट्र।

२. कार्यालय :

सम्मेलन का केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में होगा, किन्तु आवश्यकतानुसार अखिल भारतीय समिति कार्यालय का स्थान बदल सकेगी।

३. हिसाब का वर्ष :

(१) सम्मेलन तथा इसके अन्तर्गत प्रादेशिक सम्मेलन और शाखा सभाओं के हिसाब का वर्ष अप्रैल से मार्च तक होगा, किन्तु इसमें परिवर्तन करने का अधिकार अखिल भारतीय समिति को होगा।

(२) सम्मेलन के हिसाब-किताब की जाँच के लिये सम्मेलन की वार्षिक साधारण सभा में किसी अधिकृत लेखा परीक्षक की नियुक्ति होगी जिसका कार्यकाल सम्मेलन की अगली वार्षिक साधारण सभा तक रहेगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में नये लेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को रहेगा। जिसका कार्यकाल सिर्फ अगली वार्षिक साधारण सभा तक होगा।

४. संगठन

सम्मेलन के संगठन में निम्नलिखित सदस्यों, समितियों और सम्मेलनों का समावेश होगा-

(१) (क) वार्षिक सदस्य (ख) आजीवन सदस्य (ग) संरक्षक सदस्य (घ) विशिष्ट संरक्षक सदस्य।

(२) शाखा सभा।

(३) जिला/प्रमंडल सम्मेलन।

(४) प्रादेशिक सम्मेलन।

(५) केन्द्रीय सम्मेलन।

(६) उल्लिखित सम्मेलनों के अन्तर्गत बनी समितियाँ और उपसमितियाँ।

(७) स्थायी समिति।

(८) कार्यकारिणी समिति।

(९) अखिल भारतीय समिति।

(१०) सम्मेलन का अधिवेशन।

(११) सम्मेलन से सम्बद्ध संस्थाएँ।

५. (अ) सदस्य

(१) प्रत्येक मारवाड़ी स्त्री और पुरुष जो सम्मेलन के उद्देश्यों को स्वीकार करे, जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो और जो निर्धारित शुल्क दे, वह सम्मेलन का सदस्य हो सकेगा।

(२) सम्मेलन के सदस्य चार प्रकार के होंगे :-

(अ) वार्षिक (ब) आजीवन (स) संरक्षक (द) विशिष्ट संरक्षक।

(क) कम से कम ५०० रुपये वार्षिक शुल्क दे, वह व्यक्ति सम्मेलन का वार्षिक सदस्य माना जायेगा।

(ख) कम से कम ५००० रुपये की राशि दे, वह व्यक्ति सम्मेलन का आजीवन सदस्य माना जायेगा।

(ग) कम से कम एकमुश्त २१००० रु. की राशि दे वह व्यक्ति सम्मेलन का संरक्षक सदस्य माना जाएगा।

(घ) कम से कम एकमुश्त ५१००० रु. की राशि दे वह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी अथवा ट्रस्ट सम्मेलन का विशिष्ट संरक्षक सदस्य माना जाएगा।

(च) राष्ट्र, प्रांत एवं शाखा स्तर पर सम्मेलन की एक ही सदस्यता होगी। विशिष्ट संरक्षक सदस्य के अतिरिक्त, प्रांत या शाखा स्तर पर जिस श्रेणी के भी सदस्य बनेंगे उनसे प्राप्त राशि का ३० प्रतिशत प्रांतीय सम्मेलन द्वारा केन्द्रीय सम्मेलन को भेजा जाएगा। इसी तरह केन्द्रीय सम्मेलन द्वारा विशिष्ट संरक्षक सदस्य के अतिरिक्त बनाये जाने वाले सभी सदस्यों की राशि का ७० प्रतिशत हिस्सा संबंधित प्रांतीय सम्मेलन को दिया जायेगा। आवश्यकतानुसार इस प्रतिशत विभाजन में संशोधन का अधिकार अखिल भारतीय समिति को होगा। विशिष्ट संरक्षक सदस्य केवल केन्द्रीय कार्यालय के सदस्यता प्रपत्र पर ही बनाये जा सकेंगे और उसकी पूरी राशि भी केन्द्रीय सम्मेलन के पास ही रहेगी। प्रांतीय सम्मेलन सम्बन्धित शाखा को परस्पर सहमति के आधार पर उसका हिस्सा देगा। सभी स्तर पर आजीवन, संरक्षक एवं विशिष्ट संरक्षक सदस्यता से प्राप्त राशि कोष के रूप में जमा रहेगी। इस कोष का ब्याज ही खर्च किया जा सकेगा। केन्द्रीय सम्मेलन अखिल भारतीय समिति एवं प्रांतीय सम्मेलन सम्बन्धित प्रांतीय समिति की अनुमति से कोष की राशि अचल सम्पत्ति के क्रय/निर्माण आदि के लिए खर्च कर सकते हैं।

(३) केन्द्र द्वारा प्रादेशिक सम्मेलनों से शुल्क का ३० प्रतिशत अंश प्राप्त होने के उपरान्त ही औपचारिक रूप से सदस्यता स्वीकृत एवं सूचीबद्ध होगी। इसी तरह प्रादेशिक सम्मेलन केन्द्र से सदस्यता सम्बंधी ७० प्रतिशत राशि प्राप्त करने पर सदस्यता सूचीबद्ध करेंगे। प्रांतों द्वारा नये सदस्य बनाने के एक माह के अन्दर उसकी आवश्यक जानकारी, सदस्यता फार्म की प्रतिलिपि एवं ३० प्रतिशत धनराशि केन्द्रीय कार्यालय को भेजने की बाध्यता होगी अन्यथा सदस्यता के लिए आवेदनकर्ता को सम्मेलन के सदस्य के रूप में स्वीकृत नहीं समझा जायेगा एवं प्रांत को सम्पूर्ण धनराशि आवेदनकर्ता को एक माह के अंदर लौटा देनी होगी। प्रांतों द्वारा बनाये गये सदस्य की सदस्यता उपरोक्त आवश्यकताओं को पूर्ण किये बिना प्रभावी नहीं होगी। इन प्रावधानों की सूचना प्रांतों द्वारा छापे गये प्रत्येक सदस्यता फार्म में देने की बाध्यता होगी।

(४) सदस्यता आवेदन पत्र अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन एवं प्रादेशिक स्तर पर

प्रादेशिक सम्मेलन के नाम से होंगे।

(५) किसी व्यक्ति के सदस्यता आवेदन-पत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार, बिना कारण बताये, करने का अधिकार केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं प्रादेशिक स्तर पर प्रादेशिक कार्यकारिणी को होगा। सम्मेलन की सदस्यता से प्रत्येक स्तर पर हटाने का अधिकार केवल केन्द्रीय सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को होगा।

५. (ब) सदस्यता की समाप्ति :

किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्नांकित स्थितियों में समाप्त हो जायगी।

(क) राष्ट्रीय महामंत्री के नाम लिखित त्यागपत्र देने पर।

(ख) बकाया वार्षिक सदस्यता शुल्क वित्तीय वर्ष की समाप्ति के ६ माह के भीतर न चुकाने पर।

(ग) संगठन के विरुद्ध कार्यकलाप करने, अनुशासनहीनता, चारित्रिक अपराध, दिवालियापन, मानसिक अस्वस्थता एवं अदालत द्वारा दण्डित होने पर।

(घ) सदस्यता समाप्ति पर सभा में उपस्थिति, मताधिकार सहित सभी अधिकारों से उक्त सदस्य वंचित हो जायेंगे।

५. (स) सदस्यों का रजिस्टर :

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन सदस्यों की सूची सभी सम्बन्धित विवरण के साथ रखेगा। सम्मेलन के किसी सदस्य द्वारा माँग करने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की अनुमति से एवं पूर्व सूचना के आधार पर यह सूची निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

५. (द) सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य :

(क) सम्मेलन के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, सम्मेलन के प्रत्येक सदस्य को चुनाव में हिस्सा लेने एवं मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

(ख) किसी विषय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कार्यकारिणी या ऐसी दूसरी समिति में नियमानुसार सुझाव उपस्थित करने का प्रत्येक सदस्य को अधिकार होगा।

(ग) राष्ट्रीय महामंत्री के साथ समय निश्चित कर सम्मेलन के लेखा-निरीक्षण का अधिकार प्रत्येक सदस्य को होगा।

(घ) राष्ट्रीय महामंत्री को लिखित रूप से सूचना देकर सदस्यता छोड़ने का अधिकार प्रत्येक सदस्य को होगा।

(ड़) प्रत्येक सदस्य को निर्धारित अवधि के अन्दर अपना सदस्यता शुल्क चुकाना होगा।

(च) सदस्यताच्युत सदस्यों को किसी सभा में शामिल होने या मतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(छ) प्रत्येक सदस्य का चुनाव में एक मत (वोट) होगा।

६. शाखा :

(१) जिस ग्राम या नगर में सम्मेलन के कम से कम २५ सदस्य होंगे, और सम्मेलन द्वारा निर्धारित न्यूनतम कार्यक्रम हाथ में लेंगे, वहाँ सम्मेलन की शाखा स्थापित की जा सकेगी, जिसकी स्वीकृति प्रादेशिक सम्मेलन से लेनी होगी।

(२) शाखा सभाओं के लिए सम्मेलन की तत्सम्बन्धित प्रादेशिक सम्मेलन द्वारा निर्धारित नियमावली ही शाखा सभा की नियमावली होगी। प्रादेशिक सम्मेलन की स्वीकृति से

शाखा सभा अपनी नियमावली की किसी भी धारा में परिवर्तन कर सकेगी।

(३) शाखा सभा के पदाधिकारियों तथा उनकी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल २ वर्ष का होगा तथा कार्यकाल की समाप्ति के ६ महीनों के अन्दर नया चुनाव हो जाना चाहिए। यदि उपर्युक्त अवधि में चुनाव नहीं होता है तो पुरानी समिति स्वत: भंग समझी जायेगी और उसके सभी अधिकार प्रादेशिक सम्मेलन में निहित होंगे और प्रादेशिक सम्मेलन को अधिकार होगा कि अगले तीन महीनों में नया चुनाव करवा दे।

(४) प्रत्येक शाखा सभा अपनी वार्षिक रिपोर्ट और आय-व्यय का विवरण वर्ष समाप्त होने के तीन महीनों के अन्दर प्रादेशिक सम्मेलन को भेजेगी।

७. प्रमंडल / जिला सभा :

संगठनात्मक कार्यों के लिए प्रादेशिक सम्मेलन अपनी सुगमता देख कर प्रमंडलीय/जिला सम्मेलन का गठन कर सकेगा। प्रमंडलीय/जिला सम्मेलन के चुनाव शाखा सम्मेलन के उपरोक्त नियम ६(३) के अनुसार होंगे।

८. प्रादेशिक सम्मेलन :

(१) भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय सम्मेलन गठित होंगे। उनकी क्षेत्रीय सीमा वही होगी जो उस राज्य की होगी एवं प्रत्येक राज्य की राजधानी में उनके प्रधान कार्यालय होंगे। किन्तु अखिल भारतीय समिति को प्रादेशिक सम्मेलन के प्रधान कार्यालय में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

(२) केन्द्रीय सम्मेलन का संविधान सभी प्रादेशिक सम्मेलनों पर लागू होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति से प्रत्येक प्रांतीय सम्मेलन को अपना संविधान अथवा नियमावली बनाने का अधिकार होगा। इस नियमावली का केन्द्रीय संविधान की धाराओं के अनुकूल होना आवश्यक है। केन्द्रीय सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की स्वीकृति से प्रादेशिक सम्मेलन अपने संविधान एवं नियमावली की किसी भी धारा में परिवर्तन कर सकेगा या अपना नया संविधान एवं नई नियमावली बना सकेगा।

(३) हर एक प्रादेशिक सम्मेलन के पदाधिकारियों तथा उसकी प्रादेशिक समिति का कार्यकाल २ वर्ष का होगा। इसके पिछले निर्वाचन से यदि किसी कारणवर्ष २ वर्ष के अन्दर प्रादेशिक सम्मेलन के नये चुनाव न हो जायें तो अगले तीन माह के भीतर चुनाव में विलम्ब का कारण बताते हुए केन्द्र की अनुमति ली जानी चाहिए और केन्द्र के निर्देश का पालन होना चाहिए अन्यथा ६ माह के भीतर वर्तमान पदाधिकारी स्वत: अपने पद से मुक्त माने जायेंगे और उसके सभी अधिकार केन्द्रीय सम्मेलन में निहित होंगे। सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तत्काल उस प्रदेश का आगामी अधिवेशन बुलाने और नये पदाधिकारियों के चुनाव के आयोजन लिए एक तदर्थ समिति बनाने का अधिकार होगा। ऐसी तदर्थ समिति का अधिकतम कार्यकाल तीन माह का होगा।

(४) जिन प्रदेशों में प्रादेशिक सम्मेलन नहीं होंगे वहाँ सम्मेलन की गतिविधियों को परिचालित करने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को होगा।

८. (अ). प्रादेशिक सम्मेलन संचालन एवं विघटन :

(१) सभी प्रादेशिक सम्मेलन अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की प्रादेशिक शाखाओं के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

(२) सभी प्रादेशिक सम्मेलनों को अपना, केन्द्र द्वारा स्वीकृत, संविधान एवं नियमावली निश्चित करने का अधिकार होगा। किन्तु सभी प्रादेशिक सम्मेलनों के नाम इस प्रकार होंगे- पहले संबंधित प्रांत का नाम यथा बिहार, उसके बाद 'प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन' या 'प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन' जोड़ा जायेगा। नाम के नीचे 'अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की शाखा' या 'अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन से संबद्ध' तथा साथ में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतीक चिह्न उल्लेखित करना आवश्यक होगा। सभी प्रदेशों के लेटरहेड में एकरूपता रहेगी तथा उसमें अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन का लोगो अनिवार्य होगा।

(३) केन्द्रीय सम्मेलन के मूल उद्देश्यों एवं स्वीकृत सिद्धांतों के विपरीत कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ करने तथा संविधान एवं नियमावली के विरूद्ध कार्य एवं दो वर्ष तक लगातार निष्क्रियता की स्थिति में केन्द्रीय सम्मेलन की अखिल भारतीय समिति को 'कारण बताओ नोटिस' के अंतुष्ट उत्तर प्राप्ति पर दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर प्रादेशिक सम्मेलन को विघटित करने का अधिकार होगा।

(४) प्रत्येक प्रादेशिक सम्मेलन को अपनी गतिविधियों की त्रैमासिक रपट, वार्षिक आय-व्यय का ब्यौरा, पदाधिकारियों, कार्यकारिणी एवं प्रादेशिक समिति तथा सभी सदस्यों की सूची समयानुसार केन्द्रीय सम्मेलन को प्रेषित करना आवश्यक होगा।

९. अखिल भारतीय समिति :

(१) सम्मेलन के नीति-निर्धारण एवं दिशा-निर्देश हेतु एक अखिल भारतीय समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी।

(२) सम्मेलन के केन्द्रीय पदाधिकारी ही इस समिति के पदाधिकारी होंगे।

(३) सम्मेलन के सभी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा महामंत्री एवं प्रत्येक प्रादेशिक सम्मेलन के वर्तमान अध्यक्ष व महामंत्री अखिल भारतीय समिति के पदेन सदस्य होंगे।

(४) अखिल भारतीय समिति के सदस्य वही होंगे जो सम्मेलन के सदस्य हैं।

(५) इस समिति के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित रूप से होगा :-

(क) प्रत्येक प्रादेशिक सम्मेलन अपनी विभिन्न श्रेणियों की सदस्यता के आधार पर निम्नलिखित अनुपात एवं संख्या के अनुसार अखिल भारतीय समिति के सदस्यों का चुनाव करेंगे।

५ (क)(१) १०० वार्षिक सदस्यों पर १ सदस्य।

५ (क)(२) २५ आजीवन सदस्यों पर १ सदस्य।

५ (क)(३) १५ संरक्षक सदस्यों पर १ सदस्य।

किसी एक प्रादेशिक शाखा से संरक्षक एवं आजीवन सदस्य श्रेणियों से निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या प्रति श्रेणी ३५ और वार्षिक सदस्य श्रेणी से निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या २५ होगी। उक्त निर्धारित सदस्यता के अनुपात के अभाव में सम्बंधित प्रादेशिक सम्मेलन को, अपनी कार्यकारिणी समिति की सहमति से, सभी श्रेणियों से मिलाकर अधिकतम ५ सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होगा।

प्रादेशिक सम्मेलन केन्द्रीय सम्मेलन द्वारा जारी अधिसूचना तथा चुनाव नियमावली के तहत एवं केन्द्रीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की निगरानी में चुनाव सम्पन्न करवायेंगे। निर्वाचित सदस्यों की सूची केन्द्रीय सम्मेलन को प्रादेशिक अध्यक्ष या महामंत्री तथा

केन्द्रीय पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर के साथ निर्धारित समय के भीतर केन्द्रीय सम्मेलन को प्रेषित करनी होगी।

(ख) सम्मेलन का प्रत्येक विशिष्ट संरक्षक सदस्य अखिल भारतीय समिति का सदस्य होगा। फर्म/कम्पनी/ट्रस्ट को मालिक/हिस्सेदार/निर्देशक/ट्रस्टी स्तर के व्यक्ति को प्रतिनिधि, जो मारवाड़ी समाज से हो, प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार होगा।

(ग) उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को ३१ सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होगा।

(च) यदि निर्धारित समय के अन्दर धारा ५(क) के अन्तर्गत किसी प्रादेशिक सम्मेलन ने अखिल भारतीय समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं कर लिया हो या मनोनीत नामों की सूची सम्मेलन के केन्द्रीय कार्यालय को नहीं भेजी हो तो अखिल भारतीय समिति को अधिकार होगा कि वह उन रिक्त स्थानों के लिए सदस्यों को मनोनीत कर ले।

(६) (क) जिन प्रदेशों में प्रादेशिक सम्मेलन नहीं होंगे वहाँ से अखिल भारतीय समिति के सदस्य मनोनयन का अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को होगा।

(ख) किसी भी प्रादेशिक सम्मेलन से अखिल भारतीय समिति के सदस्यों का चुनाव न होने के कारण अखिल भारतीय समिति को अपूर्ण नहीं समझा जायेगा।

(७) अखिल भारतीय समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगीं।

(८) अखिल भारतीय समिति का कोरम २१ का होगा।

(९) अखिल भारतीय समिति के दो वर्षीय सत्र का सदस्यता शुल्क ५००/- रुपये होगा। निर्वाचन/मनोनयन के ६ माह के अन्दर यह शुल्क नहीं देने पर निर्वाचित/मनोनीत सदस्य की अखिल भारतीय समिति की सदस्यता निरस्त हो जाएगी। पदेन सदस्यों को यह शुल्क नहीं देना होगा।

(१०) अखिल भारतीय समिति की सभा की अध्यक्षता सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से एक अध्यक्षता करेंगे। सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की अनुपस्थिति की स्थिति में उपस्थित सदस्यों में किसी एक को, जिसे उपस्थित सदस्य चुनें, अध्यक्षता करने का अधिकार होगा।

(११) अखिल भारतीय समिति का कार्यकाल २ वर्ष का रहेगा। जब तक दूसरी समिति का गठन न हो जाये तब तक पुरानी समिति कार्य करेगी।

(१२) अखिल भारतीय समिति के सदस्य का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति अखिल भारतीय समिति ही करेगी।

(१३) अखिल भारतीय समिति की बैठक की सूचना बैठक की तिथि से २५ दिन पूर्व सदस्यों को भेजनी होगी।

(१४) अखिल भारतीय समिति का निर्णय, सम्मेलन के अन्तर्गत जितनी प्रादेशिक या शाखा सभाएँ या अन्य समितियाँ होंगी उन्हें मान्य होगा।

(१५) अखिल भारतीय समिति को उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से किसी भी प्रादेशिक सम्मेलन को उल्लेखित धारा ८(अ)३ के अन्तर्गत भंग करने का अधिकार होगा। इस समिति को सम्मेलन के अन्तर्गत समितियों, उपसमितियों एवं विभागों के गठन एवं विघटन तथा उनके दायित्वों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(१६) अखिल भारतीय समिति को अधिकार होगा कि वह सम्मेलन के कार्यक्षेत्र को विभिन्न विभागों में बाँटे। प्रत्येक भाग के कार्य संचालन के लिए उसे अधिकार होगा कि वह उस विभाग के पदाधिकारी मनोनीत करे और उनके लिये समिति या उपसमिति बनाये और उसके सारे नियम, उपनियम और कार्यक्षेत्र आदि का निर्णय करे।

(१७) सम्मेलन के अन्तर्गत अलग से युवा मंच, महिला मंच, छात्र संघ एवं ऐसे मंच स्थापित करने एवं उनके नियम-उपनियम बनाने, उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार सम्मेलन की अखिल भारतीय समिति को होगा।

(१८) राष्ट्रीय महामंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष की सलाह से जब उचित समझें तब अखिल भारतीय समिति की बैठक बुला सकेंगे। किन्तु यदि समिति के कम से कम ५० सदस्य या किन्हीं दो प्रांतों के १०-१० सदस्य समिति की बैठक बुलाने के लिए राष्ट्रीय महामंत्री को लिखित सूचना दें और उसमें यह भी लिखें कि किन विषयों पर विचार करने के लिए बैठक बुलाने की आवश्यकता है तो सूचना मिलने के बाद राष्ट्रीय महामंत्री का कर्तव्य होगा कि वह एक मास के भीतर समिति की बैठक बुलाये। यदि राष्ट्रीय महामंत्री उपरोक्त समय में अखिल भारतीय समिति की बैठक न बुलाये तो उक्त सूचना देने वाले सदस्यों को अधिकार होगा कि वे अपने हस्ताक्षर से अखिल भारतीय समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को १५ दिन पूर्व सूचना देकर उनकी बैठक बुला सकते हैं, किन्तु यह सभा लिखित सूचना देने के बाद दो महीनों के अन्दर ही करनी होगी और जिन विषयों को लेकर बैठक बुलाई जायेगी उन विषयों के अतिरिक्त दूसरे विषयों पर इस बैठक में विचार नहीं होगा।

(१९) यदि कोई सदस्य अखिल भारतीय समिति की लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना दिये अनुपस्थित रहेगा, तो उस सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है, किन्तु इस समिति को उसे फिर से चुनने का अधिकार होगा।

(२०) हर प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पास होगा, लेकिन यदि किसी भी प्रदेश का सदस्य प्रादेशिक मतगणता की माँग करे एवं कोई भी दो प्रदेश के ५-५ सदस्य इसका अनुमोदन करें तो प्रस्ताव पर प्रादेशिक मतगणना होगी। प्रादेशिक मतगणना में अलग-अलग प्रदेश के उपस्थित सदस्यों का बहुमत सम्बन्धित विषय के पक्ष व विपक्ष में एक सा माना जायेगा और इस प्रकार बहुमत से जो निर्णय होगा वही मान्य होगा।

(२२) जहाँ प्रादेशिक सम्मेलन नहीं होगा, वहाँ उसके सब अधिकार केन्द्रीय सम्मेलन को होंगे।

१०. कार्यकारिणी समिति :

(१) अखिल भारतीय समिति एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन करेगी। इसके कार्य संचालन के लिए नियम और उपनियम बनाने का और उनमें परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार अखिल भारतीय समिति को रहेगा।

(२) अपने जो अधिकार अखिल भारतीय समिति राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को न दे, उन्हें छोड़कर अखिल भारतीय समिति के सभी अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को रहेंगे।

(३) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में सम्मेलन के पदाधिकारियों के अतिरिक्त न्यूनतम १० और अधिकतम ३० सदस्यों का मनोनयन अखिल भारतीय समिति के द्वारा विभिन्न प्रादेशिक सम्मेलनों से किया जायेगा।

(४) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष को १० सदस्य मनोनीत करने का

अधिकार होगा।

(५) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक का स्थान तथा समय राष्ट्रीय महामंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष की सलाह से निश्चित करेंगे। साधारणत: कम से कम तीन महीने में एक बैठक होगी। बैठक की सूचना २१ दिन पूर्व देना आवश्यक है किन्तु आवश्यक कारणों से तीन दिन की सूचना पर बैठक आयोजित की जा सकती है।

(६) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति, उसी के द्वारा होगी।

(७) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की कोरम संख्या १० होगी, जिसमें पदाधिकारियों के अतिरिक्त कम से कम ५ अन्य सदस्य होंगे।

(८) यदि कोई विषय नितान्त आवश्यक हो और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक नहीं बुलाई जा सकती हो, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री के हस्ताक्षरों से सदस्यों के पास किसी प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेजकर उनकी राय माँगी जा सकती है। निर्दिष्ट समय के अन्दर जो मत प्राप्त होंगे उनके बहुमत के अनुसार वह प्रस्ताव स्वीकृत अथवा अस्वीकृत समझा जायेगा। इसे अगली बैठक में अंकित कर लिया जायेगा।

(९) सभी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रादेशिक अध्यक्ष एवं प्रादेशिक महामंत्री तथा युवा मंच एवं महिला सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व महामंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

(१०) यदि कोई सदस्य कार्यकारिणी समिति की लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना दिये अनुपस्थित होगा, तो उस सदस्य का स्थान रिक्त समझा जायेगा, किन्तु इस समिति को उसे फिर से या किसी दूसरे सदस्य को चुनने का अधिकार होगा।

(११) चुनाव नियमावली एवं पद्धति तय करने का अधिकार सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को होगा।

(१२) सम्मेलन के सदस्यता शुल्क में समयानुसार परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी को होगा।

११. स्थायी समिति :

(१) सम्मेलन के दिन-प्रतिदिन के कार्य-संचालन तथा विभिन्न विभागों के सामंजस्य के लिये जहाँ केन्द्रीय कार्यालय हो वहाँ के स्थानीय सदस्यों में से राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा एक स्थायी समिति का गठन होगा। स्थायी समिति में सम्मेलन के पदाधिकारी उसके पदाधिकारी होंगे।

(२) सम्मेलन की उपसमितियों/विभागों के चेयरमैन तथा संयोजक इस समिति के सदस्य होंगे।

(३) पदाधिकारियों के अतिरिक्त इस समिति के सदस्यों की संख्या उपर्युक्त धारा (२) के अन्तर्गत चुने जाने वाले सदस्यों को शामिल करके कम से कम २१ और अधिक से अधिक ४० की रहेगी।

(४) इसकी कोरम संख्या ७ की होगी।

(५) इसके नियम और कर्तव्य तथा अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित होंगे।

१२. (अ) वार्षिक साधारण सभा :

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की पंजी में सीधे दर्ज सदस्यों की एक वार्षिक साधारण सभा प्रतिवर्ष, परन्तु पिछली वार्षिक साधारण सभा से १५ महीने के अन्तराल के

अन्दर निम्नलिखित कार्यों के सम्पादन के लिए बुलाई जायेगी-

(१) सम्मेलन के पिछले वर्ष के आय-व्यय लेखे तथा संतुलन पत्र को, जैसा कि लेखा-परीक्षकों द्वारा जाँचा गया है, प्राप्त और स्वीकृत करना।

(२) सम्मेलन के पिछले वर्ष के क्रियाकलापों का प्रतिवेदन प्राप्त करना और उस पर चर्चा करना।

(३) लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना।

१२. (ब) वार्षिक साधारण सभा का कोरम ३१ होगा।

१३. सम्मेलन के अधिवेशन :

सम्मेलन के अधिवेशन दो प्रकार के होंगे :- साधारण और विशेष।

(१) साधारण अधिवेशन की तिथि एवं स्थान निर्धारित करने का अधिकार सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को होगा। अधिवेशन में नव-निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष पदभार ग्रहण करेंगे। साधारण अधिवेशन में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ होंगी।

(क) सम्मेलन के विगत सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(ख) पिछले सत्र के आय-व्यय एवं संतुलन पत्र को प्रस्तुत करना।

(ग) अन्य विषय जो अखिल भारतीय समिति/राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुप्रेषित हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्वीकृति से पेश किये जायें।

(२) आवश्यकता पड़ने पर अखिल भारतीय समिति अथवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति जब चाहे विशेष अधिवेशन बुला सकती है। इसके लिए स्थान निश्चित करने का अधिकार अखिल भारतीय समिति अथवा कार्यकारिणी समिति को रहेगा। विशेष अधिवेशन में साधारण अधिवेशन सम्बन्धी नियम और उपनियम लागू होंगे। विशेष अधिवेशन में केवल उन्हीं विषयों पर विचार होगा जिनके विचारार्थ अधिवेशन बुलाया गया है।

(३) सभी प्रकार के अधिवेशनों के लिए कोरम ३१ सदस्यों का होगा एवं कम से कम ३० दिन पूर्व सूचना भेजना आवश्यक होगा।

१४. सम्बद्ध संस्थाएँ :

(१) सम्मेलन के उद्देश्यों के अनुकूल मारवाड़ी समाज द्वारा संचालित अन्य संस्थाएँ, जिन्हें कार्यकारिणी समिति स्वीकार करे तथा जो सम्मेलन को प्रतिवर्ष कम से कम रु. ५००/- सम्बद्धता शुल्क दें, वे सम्मेलन की सम्बद्ध संस्थाएँ हो सकेंगी। सम्बद्धता शुल्क में परिवर्तन करने का अधिकार सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को होगा।

(२) सम्बद्ध संस्थाओं को सम्मेलन की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व प्रदान करने अथवा न करने का अधिकार अखिल भारतीय समिति अथवा कार्यकारिणी समिति को होगा।

१५. राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन :

(१) प्रादेशिक सम्मेलनों से अधिवेशन की तिथि से कम से कम २ मास पूर्व नये सत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के लिये सुझाव माँगे जायेंगे। कम से कम तीन प्रांतों द्वारा समर्थित सुझाव को ही अखिल भारतीय समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

(२) अखिल भारतीय समिति आये हुए सुझावों के आधार पर सम्मेलन के साधारण अधिवेशन की तिथि से कम से कम १ महीने पहले सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी।

(३) किसी कारणवश यदि निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ग्रहण न कर सके तो अखिल भारतीय समिति को अधिकार होगा कि किसी दूसरे सज्जन को, जो सम्मेलन का सदस्य

हो, किसी भी समय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित कर ले। सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही साधारण एवं विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष होंगे।

(४) राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति अखिल भारतीय समिति अथवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा बनाये हुए नियमों के अनुसार होगी। चुनाव संचालन हेतु राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति एक चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगी।

१६. प्रतिनिधि पंजीकरण :

सम्मेलन का प्रत्येक सदस्य सम्मेलन के अधिवेशन में निर्धारित शुल्क देकर प्रतिनिधि बन सकेगा और प्रतिनिधि शुल्क या उसके निर्धारित हिस्से पर केन्द्र का अधिकार होगा। निर्धारित प्रतिनिधि शुल्क देकर समाज का कोई भी व्यक्ति अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में भाग ले सकता है।

१७. मत गणना :

साधारण अथवा विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव बहुमत से पास होंगे। मत-गणना दो प्रकार की होगी।

१. साधारण मतगणना। २. प्रादेशिक मतगणना।

(१) साधारण मतगणना के अनुसार प्रत्येक प्रस्ताव उपस्थित प्रतिनिधियों के बहुमत से पास होगा।

(२) प्रादेशिक मतगणना में प्रदेशों के बहुमत से प्रस्ताव पास होंगे।

(क) राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा साधारण मतगणना का निर्णय घोषित करने पर और दूसरा विषय पेश होने के पहले प्रत्येक प्रतिनिधि को प्रादेशिक मतगणना की माँग पेश करने का अधिकार होगा और उसका अनुमोदन कम से कम तीन भिन्न-भिन्न प्रदेशों के ११-११ प्रतिनिधियों द्वारा अवश्य होना चाहिए अन्यथा प्रादेशिक मतगणना नहीं की जायेगी।

(ख) किसी प्रदेश के उपस्थित प्रतिनिधियों का बहुमत ही उस प्रदेश का मत समझा जायेगा।

(ग) यदि प्रादेशिक मत समान हो तो साधारण मतगणना के बहुमत से जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा, अन्यथा अधिक प्रदेशों का बहुमत ही अन्तिम निर्णय समझा जायेगा।

१८. स्वागत समिति :

(१) जिस प्रदेश में सम्मेलन का अधिवेशन हो वहाँ के प्रादेशिक सम्मेलन का कर्तव्य होगा कि वह उसके लिए एक स्वागत समिति गठित करे। यदि ऐसे स्थान में अधिवेशन हो, जहाँ प्रादेशिक सम्मेलन न हो तो उस स्थान में अधिवेशन को आतिथ्य करने वाली शाखा सभा/सभाओं का कर्तव्य और अधिकार होगा कि वह अधिवेशन के लिए एक स्वागत समिति का गठन करे।

(२) जिस प्रदेश में सम्मेलन का अधिवेशन होगा वहाँ के स्वागत समिति को निर्धारित शुल्क लेकर स्वागत समिति के सदस्य बनाने का अधिकार होगा। स्वागत समिति अपनी सदस्यता का शुल्क निर्धारित करेगी एवं उस पर स्वागत समिति का अधिकार होगा।

(३) सम्मेलन के सदस्य ही स्वागत समिति के अध्यक्ष और मंत्री हो सकेंगे।

(४) अधिवेशन के आय-व्यय का हिसाब, लेखा परीक्षक द्वारा जाँच कर अधिवेशन के कार्य विवरण सहित अधिवेशन की समाप्ति के ६ महीने के भीतर ही स्वागत समिति को प्रकाशित करना होगा।

(५) अधिवेशन का खर्च काट कर स्वागत समिति के पास जो कुछ रकम बचेगी उसमें से आधी केन्द्रीय सम्मेलन और आधी उस प्रदेश के प्रादेशिक सम्मेलन को मिलेगी। जिस प्रदेश में प्रादेशिक सम्मेलन नहीं होगा वहाँ की सारी शेष रकम पर केन्द्रीय सम्मेलन का अधिकार होगा।

१९. विषय निर्वाचनी समिति :

(१) अधिवेशन के कम से कम दो सप्ताह पूर्व स्वागत समिति के पास सदस्यों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पहुँच जाने चाहिए। स्वागत समिति प्रस्तावों का विषयानुसार वर्गीकरण करके उन्हें विषय निर्वाचनी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उसके बाद आये हुए प्रस्तावों पर बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्वीकृति के विचार नहीं होगा।

(२) सम्मेलन की अखिल भारतीय समिति भी अपने प्रस्ताव अधिवेशन के पूर्व स्वागत समिति को भेजेगी। इन प्रस्तावों को अन्य प्रस्तावों से प्राथमिकता दी जाएगी।

(३) विषय निर्वाचनी समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव ही सम्मेलन के अधिवेशन में रखे जायेंगे। ऐसे प्रस्ताव, जिन्हें विषय निर्वाचनी समिति में एक तिहाई मत प्राप्त हों, वे प्रस्तावक की माँग पर अधिवेशन में रखे जा सकेंगे, लेकिन अन्य अस्वीकृत प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से ही अधिवेशन में रखे जायेंगे।

(४) विषय निर्वाचनी समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) केन्द्रीय सम्मेलन के पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, स्वागत समिति के अध्यक्ष और मंत्री तथा केन्द्रीय सम्मेलन और प्रादेशिक सम्मेलनों के भूतपूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष और महामंत्री।

(ख) स्वागत समिति द्वारा निर्वाचित १५ सदस्य जो सम्मेलन के भी सदस्य हों।

(घ) विभिन्न प्रदेशों से अपने ५०० सदस्यों के अनुपात में एक व्यक्ति जिनकी अधिकतम सीमा १० होगी।

(च) राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अधिक से अधिक ११ मनोनीत सदस्य।

२०. केन्द्रीय पदाधिकारी :

(१) सम्मेलन के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

राष्ट्रीय अध्यक्ष-१, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष-६, राष्ट्रीय महामंत्री-१, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री-२, राष्ट्रीय संगठन मंत्री-१, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष-१।

(२) साधारण अधिवेशन की अध्यक्षता सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। शेष पदाधिकारियों का मनोनयन निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया जायेगा। पदाधिकारियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, किन्तु जब तक नवीन चुनाव न हो जायेगा तब तक वही पदाधिकारी कार्यभार सम्हाले रहेंगे। लेकिन किसी कारणवर्ष ३ वर्ष के अन्दर नये पदाधिकारियों का चुनाव नहीं हो पाता है तो वर्तमान पदाधिकारी स्वत: ही अपने पद से मुक्त माने जायेंगे और अखिल भारतीय समिति को अधिकार होगा कि आगामी तीन महीने में नये पदाधिकारियों का अधिवेशन बुलाने के लिए चुनाव कर ले। ऐसे पदाधिकारियों का अधिकतम कार्यकाल एक वर्ष होगा।

(३) जो पदाधिकारी लगातार दो बार चुने गये हों, वे तीसरी बार उसी पद पर नहीं चुने जायेंगे।

२१. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

(क) राष्ट्रीय अध्यक्ष :

१. सम्मेलन के साधारण/विशेष अधिवेशन, अखिल भारतीय समिति एवं कार्यकारिणी समिति, स्थायी समिति की बैठकों तथा अन्य सभाओं की अध्यक्षता करना।

२. सम्मेलन के समस्त कार्यों, उसकी चल-अचल सम्पत्ति, आय-व्यय आदि पर सामान्य नियंत्रण रखना, उनका संरक्षण करना।

३. सम्मेलन के कार्यों के सुचारु संयोजन हेतु ६ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, १ राष्ट्रीय महामंत्री, २ राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री, १ राष्ट्रीय संगठन मंत्री तथा १ कोषाध्यक्ष का मनोनयन करना तथा इनके स्थान में हुई रिक्तता की पूर्ति करना। सम्मेलन के किसी भी पदाधिकारी को कोई कार्य करने को प्राधिकृत करना और उसका मार्गदर्शन करना।

४. सभाओं में किसी प्रस्ताव या विषय पर समान मत होने पर निर्णायक मत देना।

५. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय शासन की संस्थाओं, अन्य संस्थाओं तथा व्यक्तियों से सम्पर्क रखना तथा सम्मेलन की ओर से प्रतिनिधित्व करना।

६. सम्मेलन से सम्बन्धित सभी विषयों पर आवश्यकता पड़ने पर सम्मेलन के हित में लोकमत को ध्यान में रखते हुए विशेषाधिकारों का प्रयोग करना।

७. सम्मेलन के संविधान, बैठकों की कार्यवाही, महत्वपूर्ण लेखों, विवरणियों आदि पर स्वीकृति-स्वरूप अपने हस्ताक्षर करना।

८. आवश्यकता पड़ने पर सम्मेलन के हित में राष्ट्रीय महामंत्री की सलाह एवं सहयोग से उचित कार्यवाही करना।

९. ऐसे सभी कार्य करना जिन्हें उनके पद के अनुकूल उनके द्वारा की जाने की अपेक्षा हो।

(ख) राष्ट्रीय उपाध्यक्ष :

(१) राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अधिवेशन, अखिल भारतीय समिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राष्ट्रीय स्थायी समिति या अन्य सभाओं की अध्यक्षता करना तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष के सभी अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करना।

(२) राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना।

(३) संगठन कार्य हेतु दौरे करना तथा संगठन एवं प्रचार के लिए अन्य कार्य करना।

(ग) राष्ट्रीय महामंत्री :

(१) सम्मेलन के समस्त कार्यों का नियमानुसार संचालन करना।

(२) प्रादेशिक सम्मेलनों, शाखा सभाओं तथा सम्मेलन से सम्बद्ध सभी संस्थाओं से सम्पर्क रखना, उन्हें सहयोग देगा और उनसे सहयोग लेगा।

(३) सम्मेलन की ओर से पत्र-व्यवहार करना।

(४) प्रावधानों के अनुसार, अखिल भारतीय समिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियों की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष की सलाह से आयोजित करना। उनकी तिथि, समय तथा स्थान कार्यक्रम निर्धारित कर सदस्यों को निश्चित समय में सूचना देना।

(५) सम्मेलन तथा उसकी सभाओं और समितियों के विचारार्थ जो भी प्रस्ताव, प्रतिवेदन, सुझाव आदि आये उन्हें सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से सभाओं/समितियों में विचारार्थ प्रस्तुत करना।

(६) सभाओं और समितियों की बैठकों का कार्य विवरण तैयार कर उसे सभा की आगामी

बैठक में सम्पुष्टि के लिये रखना।
(७) सम्मेलन के कार्यकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य महत्वपूर्ण विवरण तैयार करना तथा उन्हें अखिल भारतीय समिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, साधारण सभा, राष्ट्रीय स्थायी समिति एवं अधिवेशन में प्रस्तुत करना।
(८) राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्रियों तथा संगठन मंत्री के बीच कार्य वितरण करना, उनका पथ-प्रदर्शन करना तथा उनसे सहयोग प्राप्त करना।
(९) किसी विवाद के उत्पन्न होने पर सम्मेलन की ओर से न्यायालय में सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करना। सम्मेलन की ओर से न्यायालय में दावा कर सकना। उन पर पद के नाम से दावा किया जा सकेगा। इन कार्यों के लिये किसी व्यक्ति को मुखतारनामा (पावर ऑफ एटार्नी) दे सकना।
(१०) सम्मेलन के सभी कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखना। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सलाह से उनके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार होना।
(११) सम्मेलन की ओर से सभी महत्वपूर्ण कागजों, पत्रों, विवरणों, प्रतिवेदनों, लेखों आदि पर हस्ताक्षर करना।
(१२) सम्मेलन के हित में उन सभी कार्यों को करना या कराना जिनका किया जाना उचित है या जिनके किए जाने की अपेक्षा की जाती है।
(१३) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जिन्हें पदानुकूल उनके द्वारा किए जाने की अपेक्षा हो।

(घ) राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री :

राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा सौंपे गये कार्यों का क्रियान्वयन करना तथा राष्ट्रीय महामंत्री की अनुपस्थिति में उनके अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन कर सकेगा।

(घ) राष्ट्रीय संगठन मंत्री :

राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा सौंपे गये संगठन सम्बन्धी कार्यों का क्रियान्वयन करना तथा सम्मेलन के अन्य पदाधिकारियों को संगठन सम्बन्धी कार्यों हेतु सहयोग प्रदान करना।

(च) राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष :

(१) राष्ट्रीय महामंत्री तथा राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री के सहयोग से सम्मेलन के आय-व्यय का लेखा तैयार करना, उसकी जाँच करना या करवाना तथा सम्मेलन की अखिल भारतीय समिति/राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति/वार्षिक साधारण सभा की बैठक में सूचनार्थ अथवा स्वीकृति हेतु प्रेषित करना।
(२) सम्मेलन की समस्त चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना और उसका लेखा रखना।
(३) सम्मेलन की सभी आय एवं व्यय का संपरीक्षण (ऑडिट) लेखा परीक्षक से करवाना।
(४) सम्मेलन की सभी आय एवं व्यय पर आवश्यक देख-रेख रखना एवं लेखे-जोखे सम्बन्धी आवश्यक कागजों पर हस्ताक्षर करना।
(५) अन्य उन सभी कार्यों को करना जिनके करने की उसके पद के अनुकूल सम्मेलन उससे अपेक्षा रखता है।

२२. स्थगित बैठकें :

कोरम के अभाव में अखिल भारतीय समिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राष्ट्रीय स्थायी समिति तथा अन्य समितियों और उपसमितियों की बैठकें स्थगित की जा सकेंगी। स्थगित

बैठकों में कोरम का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किन्तु उनमें केवल पूर्व निर्धारित विषयों पर ही विचार हो सकेगा।

२३. स्थायी कोष :

सम्मेलन के लिए उसका एक स्थायी कोष होगा, जिसके नियम और उपनियम बनाने तथा उसकी व्यवस्था करने का अधिकार अखिल भारतीय समिति को होगा।

२४. पंचायत :

(१) सम्मेलन को अधिकार होगा कि वह पंचायतें स्थापित करे एवं उनके नियम-उपनियम बनाये। ऐसी पंचायतें इण्डियन आर्बिटेशन एक्ट के नियम-उपनियमों के अनुकूल अपना कार्य करेगी।
(२) इन पंचायतों को सम्मेलन व समाज के सदस्य कोई भी आपसी व सामाजिक विवाद प्रेषित कर सकेंगे।
(३) पंचायतें निम्न रूप से गठित होंगी :-
(क) केन्द्रीय सम्मेलन द्वारा गठित (ख) प्रादेशिक सम्मेलन द्वारा गठित।
(४) केन्द्रीय सम्मेलन द्वारा जो पंचायत गठित होगी उसमें न्यूनतम ५ और अधिकतम ११ सदस्य होंगे। भारत के किसी भी स्थान का विवाद जो सम्बन्धित लोग सम्मेलन को सौंपना चाहें, उसे सलटाने का अधिकार केन्द्रीय सम्मेलन द्वारा गठित पंचायत के तदर्थ मनोनीत सदस्यों को होगा।
(५) प्रादेशिक सम्मेलन द्वारा गठित पंचायत में न्यूनतम ३ एवं अधिकतम ११ सदस्य होंगे। उस प्रदेश के किसी भी स्थान का विवाद जो सम्बन्धित लोग प्रादेशिक पंचायत को सौंपना चाहें उसे निपटाने का अधिकार उस प्रादेशिक सम्मेलन द्वारा गठित पंचायत के तदर्थ मनोनीत सदस्यों को होगा।

२५. नियम परिवर्तन :

(१) संविधान की धाराओं में परिवर्तन करने का अधिकार सम्मेलन के साधारण या विशेष अधिवेशन को होगा और वह उपस्थित प्रतिनिधियों के दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत होगा।
(२) यदि किसी परिवर्तन की विशेष आवश्यकता हो तो इस निमित्त बुलाई गई अखिल भारतीय समिति को अधिकार होगा कि वह उपस्थित सदस्यों के बीच तीन-चौथाई बहुमत से उस परिवर्तन को स्वीकृत करे और तदनुसार कार्य करे। किन्तु इस परिवर्तन को सम्मेलन के आगामी साधारण अधिवेशन में उप धारा (१) के अनुसार स्वीकृत कराना होगा और तभी वह सम्मेलन के संविधान का स्थायी परिवर्तन माना जायेगा।

२६. निधियों की निरापद अभिरक्षा :

(१) सम्मेलन की निधियों और परिसम्पत्तियों की निरापद अभिरक्षा का दायित्व सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति पर रहेगा।
(२) सम्मेलन की निधियाँ किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/बैंकों में रखी जायेंगी, तथा उनका निवेश भारतीय न्यास अधिनियम १९८२ के खण्ड २० के अन्तर्गत निर्दिष्ट भारतीय सरकार द्वारा समय-समय पर प्रसारित संरक्षित निधियों में किया जायेगा।
(३) केन्द्रीय सम्मेलन के बैंक खातों का संचालन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा होगा। नये प्रादेशिक सम्मेलनों की स्थिति में राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा मनोनीत प्रथम तदर्थ समिति को यह अधिकार होगा। तदर्थ

समिति द्वारा पारित सम्बन्धित प्रस्ताव पर राष्ट्रीय सम्मेलन की सहमति सूचक हस्ताक्षर आवश्यक होगा।

२७. लेखा-जोखा और उनका निरीक्षण :

कम्प्यूटरीकृत लेखा-जोखा और अन्य संविधिक पुस्तकें सम्मेलन कार्यालय में रखी जायेंगी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के निरीक्षण के लिए कार्यालय के नियत समय के बीच खुली रहेंगी। सदस्यों के लिखित आवेदन पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्देशित समय और स्थान पर ये लेखा-जोखा एवं पुस्तकें सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।

२८. सम्मेलन भंग करना :

सम्मेलन को भंग करने के निमित्त बुलाई गई किसी साधारण बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से पारित इस प्रयोजन के प्रस्ताव द्वारा सम्मेलन भंग किया जा सकता है। इसी बैठक में सम्मेलन की निधियों और परिसम्पत्ति के, उसके भंग होने के समय यदि है तो, निवर्तन के तौर-तरीकों पर भी निर्णय लिया जायेगा।

सम्मेलन के भंग हो जाने पर, उसके ऋणों और देयताओं का भुगतान करने के बाद यदि कोई सम्पति बच जाती है तो वह सम्मेलन के सदस्यों के बीच किसी भी तौर पर बाँटी नहीं जायेगी, बल्कि उसे सम्मेलन के समान उद्देश्यों वाली किन्हीं अन्य संस्थाओं या सभाओं के नाम प्रदान या अन्तरित कर दिया जायेगा, जिसका निश्चय सम्मेलन के सदस्यों के ६० प्रतिशत बहुमत से होगा।

यह संशोधित संविधान एवं नियमावली २२ दिसम्बर २०१३ को
गुवाहाटी में आयोजित २३वें राष्ट्रीय अधिवेशन,
१० अप्रैल २०१६ को कोलकाता में आयोजित २४वें राष्ट्रीय अधिवेशन
तथा ३ मार्च २०१९ को हैदराबाद में आयोजित
सम्मेलन की सर्वोच्च नीति निर्धारक अखिल भारतीय समिति में सर्वसम्मति
से स्वीकृत एवं पारित प्रस्तावों की धाराओं की सत्य प्रतिलिपि है।

संतोष सराफ
राष्ट्रीय अध्यक्ष

श्रीगोपाल झुनझुनवाला
राष्ट्रीय महामंत्री

रामअवतार पोद्दार
चेयरमैन
(संविधान संशोधन कमेटी)

संजय हरलालका
संयोजक
(संविधान संशोधन कमेटी)

अगस्त २०१९

समाज विकास

- अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन का विचार मंच।
- सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक चेतना का संवाहक।
- समाज में फैली करीतियों, कुसंस्कारों को मिटाने का माध्यम।
- समाज में संगठन के लिए सशक्त माध्यम।
- राजस्थानी संस्कृति, कला, साहित्य व भाषा के प्रति समर्पित।
- समाज में होने वाली सामाजिक घटनाओं, वर्जनाओं का वैचारिक संदेशवाहक।
- भारत के कोने-कोने में फैले करीब १० करोड़ मारवाड़ियों को शब्द प्रदाता।
- आप की आवाज व विचारों को देश-विदेश तक पहुँचाने एवं बुलंदी देने हेतु।
- मारवाड़ी समाज का यही इतिहास,
  संकट में सहारा, शांति में विकास।

आप इस संस्था से जुड़े हैं, हमारे समाज के माननीय एवं सम्मानित व्यक्ति हैं। अन्य भाईयों को भी जोड़ें, यही हमारी प्रार्थना एवं इच्छा है।

यह अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन का मुखपत्र है।

सीताराम शर्मा
प्रेरक सम्पादक, समाज विकास
(पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष)
चेयरमैन, सलाहकार कमेटी

शिव कुमार लोहिया
सम्पादक, समाज विकास
(पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री)

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन

स्थापना : २५ दिसम्बर १९३५

प्रादेशिक शाखा सम्मेलन :

बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उत्कल (ओडिशा), पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं तेलंगाना।

प्रमुख उद्देश्य :

सामाजिक सुरक्षा - समाज सुधार - राष्ट्रीय एकता - समरसता

यादगार क्षण : रजत जयंती समारोह (१९६१) :

उद्घाटनकर्ता : **पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. विधानचन्द्र राय**

: स्वर्ण जयंती समारोह (१९८६) :

उद्घाटनकर्ता : **राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह**

: हीरक जयंती समारोह (१९९६) :

उद्घाटनकर्ता : **राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा**

: कौस्तुभ जयंती समारोह (२०१०)

उद्घाटनकर्ता : **राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील**

: स्थापना दिवस समारोह (२०१७)

उद्घाटनकर्ता : **पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी**

: सम्मेलन का मुखपत्र :

'समाज विकास' प्रत्येक माह कोलकाता से प्रकाशित,
देश भर से लाखों लोगों द्वारा पठित।

: मुख्य कार्य:

समाज की सुरक्षा के लिए समाज के विरुद्ध दुराग्रह फैलाने वालों के खिलाफ सशक्त एवं सामूहिक आवाज उठाना। दहेज, दिखावा, आडम्बर, वधू अत्याचार, बाल विवाह, पर्दा प्रथा एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों का विरोध। विधवा विवाह, महिला शिक्षा एवं नारी जागरण का समर्थन। वैवाहिक परिचय सम्मेलन एवं सामूहिक विवाह का प्रसार। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास, सामाजिक समरसता, उच्च शिक्षा, छात्रवृत्तियां एवं छात्रावास निर्माण। प्राकृतिक आपदा एवं विपत्ति में राहत कार्यों का संचालन। विभिन्न सेवा प्रकल्पों का संचालन। राजनैतिक चेतना एवं भागीदारी व सामाजिक योगदान।

: मारवाड़ी महिला सम्मेलन :

सर्वभारतीय स्तर पर १९८३ से सम्मेलन द्वारा महिलाओं के विकास एवं जागरण हेतु
अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की स्थापना।
विभिन्न प्रांतों में प्रादेशिक महिला सम्मेलनों का गठन।

मारवाड़ी युवा मंच

युवा शक्ति के विकास के लिए सम्मेलन के प्रयासों से
अखिल भारतीय युवा मंच की १९८५ में स्थापना।
६५० से अधिक शाखाओं के माध्यम से युवा मंच की समाजहित में सक्रिय भूमिका।